राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 12/2016/कोटा
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
वार्ड–I, टोंक — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स महेश एडिबल ऑयल इण्ड. लि0 — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः
श्री अनिल पोखरणा
अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री पारस पाटनी
उप राजकीय अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांकः 30.01.2017

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी विभाग की ओर से अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अजमेर (कैम्प कोटा) द्वारा अपील संख्या 19/14–15/वैट/कोटा में पारित आदेश दिनांक 29.05.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है,जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत–टोंक (जिसे आगे ''कर निर्धारण अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू. 1,38,998/–, तथा कर रुपये 23166/– को अपास्त किया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरण निस्तारण करते हुये यह माना गया कि अपीलार्थी व्यवहारी के द्वारा उनियारा क्रय–विक्रय सहकारी समिति उनियारा के दस्तावेजों से सरसों की 171 बोरी का स्टॉक ट्रांसफर अपीलार्थी की ब्रांच उनियारा के दस्तावेजों से माल का लादान अलीगढ़ (टोंक) से मुख्या ब्रांच कोटा के लिये भिजवाया गया है।सहायक आयुक्त टोंक तथा सहायक आयुक्त वृत–अ कोटा के आधार पर अपीलार्थी की ब्रांच उनियारा में नहीं होना मानते हुये इस परिवहनित माल वाहन संख्या वाहन–आरजे–26/जीए–1857 द्वारा अपीलार्थी के ब्रान्च ट्रांसफर नोट को कूटरचित मानते हुये परिवहनित माल को धारा 76(2)(b) का उल्लंघन मानते हुये ब्रांच स्थल की घोषणा में विरोधाभास के आधार पर माल सरसों कीमतन रुपये 463326/– पर धारा 76(6) के तहत 30% से शास्ति रुपये 138998/– तथा धारा 76(12)(13) के तहत 5% से कर रुपये 23166/7 आरोपित किया। उक्त आरोपित शास्ति एवं कर से क्षुब्ध होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.2015 पारित कर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति एवं कर को अपास्त किया है। अपीलीय अधिकारी के अपलाधीन आदेश से असन्तुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर योग्य माल मिथ्या एवं कूटरचित दस्तावेजों से कर योग्य माल सरसों 171 बोरी वजन 14570 किलोग्राम कीमत रू. 4,63,326/–का परिवहन किया जा रहा था, जो अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का स्पष्ट उल्लंघन है । उनका कथन है कि उक्त तथ्य होने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मैसर्स महेश एडिबल ऑयल इण्ड. लिमिटेड, उनियारा को नोटिस जारी किया गया। नोटिस के जवाब में शपथ पेश कर माल एवं वाहन को जमानत पर छोड़ने का निवेदन किया । उनका कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं जांच अधिकारी द्वारा मौक्के पर वाहन चालक के लिये गये बयानों व जांच के तथ्यां में विरोधाभास पाये जाने पर व्यवहारी को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया। उनका कथन है कि दिनांक 26.03.3014 को प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से श्री नीरज शर्मा उपस्थित हुए एवं निर्देशों की पालना में बैंक गारन्टी पेश करने में यह कहते हुए असमर्थता व्यक्त की कि वित्तीय वर्ष समाप्तिकी ओर होने के कारण बैंक गारन्टी प्रस्तुत की जा सकती है तथा बैंक गारन्टी के स्थान पर दो पंजीकृत डीलर्स की जमानत प्रस्तुत की गई। उनका कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी के द्वारा उनियारा क्रय–विक्रय सहकारी समिति उनियारा के दस्तावेजों से सरसों की 171 बोरी का स्टॉक ट्रांसफर अपीलार्थी की ब्रांच उनियारा के दस्तावेजों से माल का लादान अलीगढ़ (टोंक) से मुख्य ब्रांच कोटा के लिये भिजवाया गया है जबकि सहायक आयुक्त टोंक तथा सहायक आयुक्त वृत–अ कोटा के आधार पर अपीलार्थी की ब्रांच उनियारा में नहीं होना मानते हुये इस परिवहनित माल वाहन संख्या वाहन–आरजे–26/जीए–1857 द्वारा अपीलार्थी के ब्रान्च ट्रांसफर नोट को कूटरचित मानते हुये परिवहनित माल को धारा 76(2)(b) का उल्लंघन मानते हुये ब्रांच स्थल की घोषणा में विरोधाभास के आधार पर माल सरसों कीमतन रुपये 463326/– पर धारा 76(6) के तहत 30% से शास्ति रुपये 138998/– तथा धारा 76(12)(13) के तहत 5% से कर रुपये 23166/–कुल रू. 1,62,164/–की मांग सृजित की है, जो पूर्णतया उचित है किन्तु अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए उसे अपास्त किया है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने उनके समक्ष प्रस्तुत तथ्य एवं रेकार्ड की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है,जो अपास्त योग्य है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथ किया कि उक्त परिवहनित माल किसानों के विक्रय पर्ची संख्या 9/677 दिनांक 09.03.2014 को खरीदकर प्रत्यर्थी की ब्रांच के दस्तावेजों स्टॉक ट्रांसफर चालान क्रमांक दिनांक

09.03.2014 तथा जैन रोडलाइन्स बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोंक बिल्टी क्रमांक 269 दिनांक 09.03.2014 तथा कार्यालय उपज मंडी समिति उनियारा जिला टोंक का निर्यात प्रतिवेदन क्रमांक 51 दिनांक 09.03.2014 के दस्तावेजों के साथ माल प्रत्यर्थी की मुख्य ब्रांच ऑफिस कोटा के लिये वाहन संख्याय आरजे–26/जीए–1857 द्वारा विधिवत रुप से भिजवाया जाने के उपरान्त भी विद्वान कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी पर शास्ति व कर आरोपित की है, जो अविधिक होने से अपास्त योग्य है। । उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील के आधार में That the appliacation for branch RC in respect of palaitahsil uniyara depot has been filed before the Commercial taxes department on dated 16-04-2012. Palai and uniyara are nearby area palai Uniyara tehsil the landlord of the shop is resident of village palai. tehsil uniyara whereas the shop is resident of village palai tehsil uniyara whereas the shop is situated at uniyara but due to oversight the address of landlord is mentioned on the application for branch RC अंकित किया है और उक्त के समर्थन में न्यायिक निर्णयों के उद्धरण पेश किये – 1. माननीय राजस्थान कर बोर्ड अजमेर का निर्णय मैसर्स राजस्थान एल्यूमिनियम हाउस प्रा0 लि0, नई दिल्ली बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता राजस्थान–V, जयपुर निर्णय दिनांक 25.07.2002 टैक्स अपडेट –4 पेज–143 अक्टूबर 2002 एवम् मैसर्स गुप्ता पोलिमर्स प्रा0लि0 फरीदाबाद बनाम हरियाणा राज्य निर्णय (2015)50 PHT 207 (HTT)(FB) निर्णय दिनांक 18.03.2014 के आलोक में विभाग की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकारा करने का निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, प्रस्तुत रिकार्ड व अपीलीय अधिकारी क आदेशों का अवलोकन किया गया तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया है। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों पर समग्र रूप से विचार करने के पश्चात निष्कर्ष दिया है कि "प्रकरण के तथ्यों के अनुसार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा माल सरसों नग 171 बोरी को ब्रांच ऑफिस उनियारा से मुख्य ब्रांच ऑफिस कोटा के लिये भिजवाया गया है। परिवहनित माल के साथ किसानों के विक्रय पर्ची 9/677 को दिनांक 09.03.2014 को खरीदकर प्रत्यर्थी की ब्रांच के दस्तावेज स्टॉक ट्रांसफर चालान क्रमांक दिनांक 09.03.2014 तथा जैन रोडलाइन्स बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोंक बिल्टी क्रमांक 269 दिनाक 09.03.2014 तथा कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति उनियारा जिला टोंक का निर्यात प्रतिवेदन क्रमांक 51 दिनांक 09.03.2014 के दस्तावेजों के साथ माल अपीलार्थी की मुख्य ब्रांच ऑफिस कोटा के लिये वाहन संख्या –आरजे–26/जीए–1857 द्वारा भिजवाया जा रहा था। प्रत्यर्थी को जारी कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति उनियारा के प्रारुप–VIII के स्थायी अनुज्ञप्ति में अनुज्ञप्तिधारी

की ओर से निम्नलिखित सहायक प्रतिनिधि कार्य करेंगें– मे क्रम संख्या 3 में श्री राजूलाज जैन पुत्र श्री सूरजमल जैन पलाई का नाम भी अंकित है, जो प्रत्यर्थी के लिये कार्यकर्ता है। प्रत्यर्थी के द्वारा माल को उनियारा से लीड नहीं करवाकर किसान को व प्रत्यर्थी की सुविधा के अनुसार माल अलीगढ़ से लोड हुआ था। परिवहनित माल के साथ संलग्न दस्तावेज को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा गलत अथवा मिथ्या प्रमाणित नहीं किया गया है तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ब्रांच पर दस्तावेजों का व खरीद माल का सत्यापन नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी के द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र में भी ब्रांच पलाई का हवाला दिये जाने के आधार पर प्रत्यर्थी द्वारा उद्वरित न्यायिक निर्णयों के अनुसरण में प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार योग्य पाये जाने के कारण प्रत्यर्थी पर शास्ति व कर अविधिक पाये जाने के कारण अपास्त की जाती है।"

अपीलीय अधिकारी द्वारा दिये गये उक्त निष्कर्ष के स्पष्ट है कि उन्होंने प्रकरण के प्रत्येक पहलू पर विचार करने के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति व कर को अपास्त किया है, जिससे यह पीठ सहमत है। फलस्वरूप कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य